



भारत में रोहगिया शरणार्थी

प्रलिमिंस के लिये:

[रोहगिया, म्याँमार, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त \(UNHCR\), नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 \(CAA\), शरणार्थी सम्मेलन, 1951](#)

मेन्स के लिये:

भारत द्वारा 1951 के शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं करने के नरिणय के पीछे का कारण, शरणार्थियों के प्रबंधन हेतु भारत में वर्तमान वधायी ढाँचा

चर्चा में क्यों?

'ए शैडो ऑफ रफ़ियूजी: रोहगिया रफ़ियूजीज़ इन इंडिया' शीर्षक वाली हालिया रपिर्ट भारत में [रोहगिया शरणार्थियों](#) द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करती है।

- यह रपिर्ट संयुक्त रूप से [आज़ादी प्रोजेक्ट](#), [ए वुमेन राईट नॉन प्रॉफिटि एंड रफ़ियूजी इंटरनेशनल](#), [अंतर्राष्ट्रीय NGO](#) द्वारा तैयार की गई है जो राज्यवहिन लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है।

रोहगिया संकट:

- रोहगिया लोगों ने [म्याँमार](#) में दशकों से हिसा, भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया है।
 - रोहगिया को आधिकारिक जातीय समूह के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और वर्ष 1982 से उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। वे दुनिया की सबसे बड़ी राज्यवहिन आबादी में से एक हैं।
- म्याँमार में हिसा के कारण रोहगियाओं ने 1990 के दशक की शुरुआत से पलायन शुरू कर दिया।
 - उनका सबसे बड़ा और तीव्र पलायन अगस्त 2017 में शुरू देखा गया जब म्याँमार के रखाइन राज्य में हिसा भड़क उठी, जिसके कारण 742,000 से अधिक लोग पड़ोसी देशों में शरण लेने हेतु मजबूर हुए, जिनमें अधिकांश महिलाएँ एवं बच्चे थे।



रिपोर्ट में उल्लिखित चुनौतियाँ एवं सफ़ारिशें:

■ रोहिंगिया से संबंधित चुनौतियाँ:

○ पुनर्वास हेतु असवीकृत निकास अनुमतियाँ:

- वे रोहिंगिया शरणार्थी, जिन्होंने शरणार्थी स्थिति निर्धारण प्रक्रिया पूरी कर ली है और अन्य देशों में पुनर्वास के लिये अनुमोदन प्राप्त कर चुके हैं, भारत का रोहिंगिया शरणार्थी को निकास वीजा देने से इनकार करना एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है।

○ लांछन और शरणार्थी वसिधी भावना:

- भारत में रोहिंगिया शरणार्थियों को वभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जसिमें "[अवैध परवासी](#)" के रूप में चहिनति कथिा जाना भी शामिल है।
- यह लांछन न केवल समाज में उनके एकीकरण को बाधति करता है बल्कि उन्हें म्याँमार वापस नरिवासति कथि जाने के जोखमि में भी डालता है, जो क शिसन के डर से वहाँ से पलायन कर गए थे।

○ नरिवासन का डर:

- वास्तवकि और धमकी भरे नरिवासन ने रोहिंगिया समुदाय के अंदर भय की भावना उत्पन्न कर दी है, जसिसे कुछ लोग बांग्लादेश में शरिषि में लौटने के लिये मजबूर हो गए हैं।
- नागरकि और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्टरीय अनुबंध एवं बाल अधिकारों पर सम्मेलन सहति अंतर्राष्टरीय अभसिमय, भारत को रोहिंगियाओं को म्याँमार वापस नहीं भेजने को बाधय करते हैं।
 - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्टरीय सुरक्षा खतरों के संबंध में सरकार के तरकों को स्वीकार कर लथिा है,

जसिसे नरिवासन को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है।

- **जीवनयापन की जटिल स्थिति:**
 - रपिर्ट में भारत में रोहगिया शरणार्थियों की गंभीर जीवन स्थितियों का वविरण दिया गया है, जो असुरक्षित पेयजल, शौचालय या बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के अभाव के कारण झुग्गी जैसी बस्तियों में रहते हैं।
 - वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना उनका आवश्यक सेवाओं जैसे स्कूल में प्रवेश के लिये आधार कार्ड प्राप्त करना असंभव हो गया है।
- **सफ़ारिशें:**
 - **औपचारिक मान्यता और घरेलू कानून:** भारत को औपचारिक रूप से रोहगिया शरणार्थियों को अवैध प्रवासियों के बजाय शरण के अधिकार वाले व्यक्तियों के रूप में मान्यता देनी चाहिये।
 - **शरणार्थी सम्मेलन 1951** पर हस्ताक्षर करना और शरणार्थियों एवं शरण पर घरेलू कानूनों की स्थापना इसे प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।
 - **नवास की स्वीकृति:** भारत UNHCR कार्ड को बुनियादी शिक्षा, कार्य और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के लिये पर्याप्त माना जा सकता है।
 - UNHCR कार्ड **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR)** द्वारा शरणार्थियों को जारी किये गए पहचान दस्तावेज को संदर्भित करता है, जो कि ऐसे व्यक्तियों हैं जिनमें शरण चाहने वालों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
 - UNHCR संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो विश्व भर में शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता के लिये कार्य करती है।
 - UNHCR कार्ड एक **शरणार्थी या शरण चाहने वाले के रूप में व्यक्तियों की स्थिति का प्रमाण है** और यह उन्हें उस देश में कुछ अधिकार एवं उनके नवास हेतु देशों या स्थानों पर उन्हें कुछ बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं।
 - **वैश्विक विश्वसनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा:** शरणार्थियों के साथ बेहतर व्यवहार करने से भारत की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ेगी, अतः उन पर कठोर नगिरानी को हतोत्साहित कर तथा इनके आगमन का दस्तावेजीकरण करने से **राष्ट्रीय सुरक्षा** के हितों की पूर्ति होगी।
 - रपिर्ट बताती है कि भारत अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे सहयोगी देशों और अन्य यूरोपीय देशों में उनकी स्वीकृति की वकालत करके रोहगिया शरणार्थियों के लिये पुनर्वास के अवसरों को सुवधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

भारत द्वारा 1951 के शरणार्थी सम्झौते पर हस्ताक्षर न करने के नरिणय के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?

- **शरणार्थी की परिभाषा से जुड़ा मुद्दा:** 1951 के सम्झौते के अनुसार, शरणार्थियों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं, कति अपने आर्थिक अधिकारों से नहीं।
- अगर आर्थिक अधिकारों के हनन को शरणार्थी की परिभाषा में शामिल कर लिया जाए तो यह स्पष्ट रूप से विकसित देशों पर एक बड़ा बोझ होगा।
- **संप्रभुता संबंधी चिंताएँ:** देश अंतरराष्ट्रीय सम्झौतों पर हस्ताक्षर करने के लिये अनिच्छुक हो सकते हैं, जो यह मानते हैं कि वे उनकी संप्रभुता से सम्झौता कर सकते हैं या उनकी घरेलू नीतियों और नरिणय लेने की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
 - सम्मेलन पर हस्ताक्षर न करके भारत अपनी शरणार्थी नीतियों को लागू करने की स्वतंत्रता को बनाए रखता है।
- **सीमित संसाधन:** भारत, विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है और पहले से ही अपनी आबादी को बुनियादी सेवाएँ एवं संसाधन प्रदान करने के लिये गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है।
 - सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने से शरणार्थियों की सुरक्षा के साथ सहायता से संबंधित उत्तरदायित्व और संसाधन बोझ अधिक बढ़ सकता है।
- **क्षेत्रीय गतिशीलता:** भारत एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो ऐतिहासिक रूप से विभिन्न संघर्षों और वसिथापन स्थितियों से प्रभावित रहा है।
 - **दक्षिण एशिया** में सीमाओं की खुली प्रकृति के कारण भारत को पड़ोसी देशों से शरणार्थियों के प्रवाह का सामना करना पड़ा है।
 - हालाँकि भारत अभी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानूनी संधियों से संबद्ध है।

शरणार्थियों को संभालने के लिये भारत में वर्तमान वधायी ढाँचा क्या है?

- भारत सभी वदिशियों के साथ समान व्यवहार करता है चाहे वे अवैध अप्रवासी, शरणार्थी/शरण चाहने वाले हों या वीजा परमिट के साथ अधिक समय तक रहने वाले हों।
 - **वदिशी अधिनियम, 1946:** धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को अवैध वदिशी नागरिकों का पता लगाने, हरिसत में लेने और नरिवासित करने का अधिकार है।
 - **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920:** धारा 5 के अंतर्गत अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 (1) के अंतर्गत एक अवैध वदिशी को बलपूर्वक हटा सकते हैं।
 - **वदिशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 (Registration of Foreigners Act of 1939):** इसके अंतर्गत एक अनविश्य आवश्यकता लागू है जिसके तहत भारत आने वाले सभी वदिशी नागरिकों (वदिशी भारतीय नागरिकों को छोड़कर) को दीर्घावधिक वीजा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने के 14 दिनों के भीतर एक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
 - **नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955):** इसमें नागरिकता का त्याग, नागरिकता पर्यवसान और नागरिकता से वंचित किये जाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
 - इसके अलावा **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019** बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हद्दि, ईसाई, जैन,

पारसी, सिख तथा बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

- भारत ने शरणार्थी होने का दावा करने वाले वदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा अनुपालन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) स्थापित की है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति युगमों पर वचिर कीजयि: (2016)

कभी-कभी समाचारों में उल्लखिति समुदाय कसिके मामलों में

- | | |
|------------|------------|
| 1. कुरद | बांग्लादेश |
| 2. मधेसी | नेपाल |
| 3. रोहगिया | म्याँमार |

उपर्युक्त युगमों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. अवैध सीमा पार प्रवास भारत की सुरक्षा के लिये कैसे खतरा उत्पन्न करता है? इस तरह के प्रवासन को बढ़ावा देने वाले कारकों को उजागर करते हुए इसे रोकने के लिये रणनीतियों पर चर्चा कीजयि। (2014)

[स्रोत: द हिंदू](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rohingya-refugees-in-india>